

# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या -13/2025 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2025/10

1. लटूर आत्मज छोटू जाति केवट निवासी कीर की झोंपडिया  
--अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार चेचट जिला कोटा

--रेस्पोडेन्ट



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार चेचट मि0नं0 145/2024 निर्णय  
दिनांक 09.10.2024 उनवान सरकार बनाम लटूर


उपस्थिति

1. श्री धारा सिंह अभिभाषक अपीलान्ट
2. परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :- 28.04.2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चेचट ने ग्राम सांडयाखेडी की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 396 की 0.25 हे0 में संवत् 2081 में अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर फसल सोया बोने की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 145/2024 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली एवं 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित के आदेश किया जाकर 100/-रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 09.10.2024 से अपना निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 23.01.2025 को पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। वकील अपीलांट एवं परोकार सरकार को सुना गया।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा बगैर मौके पर जाकर बिना देखे अतिक्रमी मानकर रिपोर्ट पेश की गई है जबकि उक्त खसरा नम्बर पर अपीलान्ट ने फसल नहीं बो रखी है ना ही वर्तमान में अपीलान्ट का कब्जा है, अपीलान्ट द्वारा पूर्व में ही कब्जा छोड़ दिया गया है तथा जुर्माना भी जमा करवा दिया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम थाना चेचट के पुलिस कर्मी द्वारा सूचना देने पर हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को प्रोपर तामील नहीं करवाई गई और ना ही सूचना दी गई। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 9.10.2024 निरस्त फरमाने की कृपा करें।
4. परोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर संवत् 2080 में भी अतिक्रमण किया जाने से नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती

  
जिला कलेक्टर  
कोटा

अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है जो उचित है। अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावें।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.10.2024 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 23.01.2025 को पेश की गई है। जो मियाद बाहर है। मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 8.1.2025 को नकल प्राप्त कर यह आवेदन पेश किया है। प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है।
6. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि लटूर पुत्र छोटू जाति केवट निवासी कीर की झोंपडिया द्वारा संवत 2081 में ग्राम सांडयाखेडी की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 396 की रकबा 0.25 हे0 पर अतिक्रमण कर फसल सोयाबीन बोया हुआ है तथा इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्त को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई करते हुए उसे बेदखली के आदेश करते हुए 100/- रुपये शास्ति तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।
7. अपीलान्त ने विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
8. अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलान्त ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो अथवा कब्जा नहीं हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अण्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे तथा कब्जा हटाने की पुष्टि तहसीलदार चेचट स्वयं कर ले तो इस स्थिति में एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। अपीलान्त नियत अवधि में अण्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तथा मौके पर से कब्जा नहीं हटाया जाता है तो तहसीलदार अतिक्रमी अपीलान्त को नियमानुसार सिविल कारावास की सजा भुगतायेगा।
9. निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० रविन्द्र गोस्वामी)  
जिला कलक्टर, कोटा  
जिला कलक्टर  
कोटा